Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- जिला जोधपुर में जोधपुर डिस्कॉम के जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक व प्राईवेट व्यक्ति फूलसिंह (प्राईवट वाहन चलाक) 3500/–रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, (स्पेशल युनिट) जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक व प्राईवेट व्यक्ति फूलसिंह प्राईवट वाहन चालक जोधपुर** डिस्कॉम जोधपुर को **3500/– रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरों मुख्यालय के **हेल्पलाईन टोल फ्री नम्बर 1064** पर सूचना दी कि परिवादी से आरोपी द्वारा उसके जायज कार्य को करने के लिये 3500/– रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ब्यूरों मुख्यालय द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, (स्पेशल युनिट) जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों (स्पेशल युनिट) जोधपुर को एक शिकायत इस आशय की पेश की कि परीवादी के सोलर प्लांट की फर्म हैं, जिसके द्वारा तीन उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट लगाने के लिए सहायक अभियंता ए–7 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर के कार्यालय में दो–तीन माह से तीन फाईलें लगा रखी है। उक्त फाईलों में सर्विस कनेक्शन आदेश (एससीओ) करवाकर सोलर विद्युत कनेक्शन करने की एवज में जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर में ठेके पर संचालित प्राईवेट वाहन के चालक फूलसिंह व जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक द्वारा स्वयं के लिये एवं सहायक अभियन्ता चेतन शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कपिल बामील, लाईनमैन के लिये 3500/– रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहे हैं। जिसमे सहायक अभियंता, कनिष्ट अभियंता एवं लाइनमैन की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भूवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, (स्पेशल युनिट) जोधपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष चौधरी** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जितेन्द्र सिंह वाणिज्यिक सहायक, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर व प्राईवेट व्यक्ति फूलसिंह (प्राईवट वाहन चलाक) को 3500/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।